कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

का.आ.प्रशा.(ले.प.)/गो.शा./एपीएआर/सी-41 दिनांकः 10.05.2021

कार्यालय आदेश

प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रक्रिया के समापन के लिए समय-सीमा पूर्व में कार्यालय आदेश सं. प्रशा.(ले.प.)/गो.शा./एपीएआर/बी-2 दिनांक 05.04.2021 के तहत परिचालित की गयी थी ।

अब, मुख्यालय के पत्र सं. 103-स्टाफ हकदारी (नियम) एआर/12-2019 दिनांक 07.05.2021 के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत, एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली कार्यालय ज्ञापन सं. 21011/02/2015-स्था (ए-II) भाग II दिनांक 14.04.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा के समूह क, ख एवं ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2020-21 हेतु एपीएआर की वितरण/ऑनलाइन जेनरेशन, रिकॉडिंग और समग्र प्रक्रिया के समापन के लिए पुनरीक्षित लक्ष्य तारीख निम्न प्रकार निर्धारित की गयी हैः

क्र.सं.	गतिविधि	गतिविधि के पूर्ण किये जाने की तारीख
(1)	(2)	(3)
1	रिक्त प्रपत्रों का वितरण	31 मई 2021
2	रिपोर्टिंग अधिकारी को स्व-मूल्यांकन जमा करना	30 जून 2021
3	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी को प्रतिवेदन अग्रसारित करना	31 जुलाई 2021
4	समीक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन एपीएआर सेल/स्वीकार करने वाले प्राधिकारी (जहाँ उपलब्ध कराया गया हो) को अग्रसारित करना	31 अगस्त 2021
5	स्वीकार करने वाले प्राधिकारी, जहाँ उपलब्ध कराया गया हो, द्वारा मूल्यांकन	30 सितम्बर 2021
6	i. रिपोर्ट किए गए अधिकारी से एपीएआर का प्रकटीकरण जहाँ स्वीकार करने वाला प्राधिकरण न हो ii. रिपोर्ट किए गए अधिकारी से एपीएआर का प्रकटीकरण जहाँ स्वीकार करने वाला प्राधिकरण हो	10 सितम्बर 2021 10 अक्टूबर 2021
7	एपीएआर पर अभ्यावेदन की प्राप्ति, यदि कोई हो,	प्रकटीकरण की तारीख से 15 दिन
8	सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदनों का अग्रेषण (v) जहाँ एपीएआर स्वीकार करने वाला प्राधिकरण न हो (vi) जहाँ एपीएआर स्वीकार करने वाला प्राधिकरण हो	30 सितम्बर 2021 31 अक्टूबर 2021

9	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदनों का निपटान	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर
10	एपीएआर सेल द्वारा अभ्यावदेन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय का संचार	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय को अंतिम रूप देने के 15 दिनों के भीतर
11	समग्र एपीएआर प्रक्रिया की समाप्ति, जिसके बाद एपीएआर अंततः अभिलेखित किये जाएंगे ।	31 दिसम्बर 2021

फिर भी, सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति की प्रतिक्षा किए बिना यथाशीघ्र एपीएआर प्रस्तुत करने का सुझाव दिया जाता है ।

ह/-

उप महालेखाकार (प्रशा.)

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना;

2. सभी ग्रुप अधिकारियों के सचिवालय;

3. सभी वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक;

4. सभी शाखा अधिकारी/एएमजी-I (मु.)/ एएमजी- II (मु.)/ एएमजी- III (मु.) /एएमजी-IV) (मु.) / (एमजी-V (मु.) /केन्द्रीय प्रक्षेत्र (मु.)- से अनुरोध है कि वे पुनरीक्षित समयसीमा से अपने अधीनस्थ अनुभागों/फिल्ड पार्टीयों में पदस्थापित कर्मियों को अवगत कराएं;

5. स.ले.प.अ. /एएमएस- कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु;

6. नोटिस बोर्ड।

ह/-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/गो.शा.